भारत सरकार **BHARAT SARKAR**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**

No: 2011/RS(G)/779/9 **New Delhi, dated : 13.2.2015**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS
All MD/CAO of Railway PSUs, autonomous units

Sub: PMA policy for preference to Domestically Manufactured Electronic Products (DMEPs) in Government procurement - reg.

Ref: (1) Board's letter No. 2011/RS(G)/779/9 dt.4.7.2014
(2) Board's letter No. 2010/RS(G)/363/1 dt.5.7.2012
(3) Deity of MOCIT's letter No. 33(3)/2013-IPHW (Vol.III) (Pt.3) dt.14.10.2014

Vide Board's letter No. 2011/RS(G)/779/9 dt. 4.7.2014 and letter No. 2010/RS(G)/363/1 dt. 5.7.2012 two government policies viz. PMA policy and MSE policy are presently applicable simultaneously for procurement. PMA policy provides for preference to DMEP over non-DMEP in procurement of notified electronic products for government procurement up to specified percentage as per policy. MSE policy provides for preference to eligible MSE firms as per policy.

2. In view of above, clarifications were sought from MOCIT explaining numerous situations which come across in tender cases for procurement of notified electronic goods. MOCIT vide their letter dt. 14.10.2014 (reference 2 above) has clarified the position on applicability of the two policies in different scenarios etc. which is shown in juxta-position as under:

Sl. No.	**Clarification sought by Ministry of Railways**	**Deity's Clarifications**
1.	There can be a situations where L-1 firm can be non-MSE-non DMEP and L-2 firm may be MSE along with being DMEP within 15% of L-1. In such a situation whether L-2 shall get preference for 30% quantity (being DMEP) + 20% (being MSE) = total 50% or L-2 shall get preference only for 30% (Being DMEP) as 20% (for being MSE) shall be covered within that.	L-2 shall get preference only for 30% (being DMEP) as 20% (for being MSE) shall be covered within that.
2.	Another situation can be that L-1 is non-MSE along with being non-DMEP and L-2 is MSE along with being non-DMEP within 15% of L-1 and L-3 is DMEP along with being MSE/non-MSE within 20% of L-1. In such case whether L-2 will get preference for 20% quantity (for being MSE) and L-3 will get preference for 30% (or more as per notification, for being DMEP) i.e. L-2 and L-3 put together will get preference for 50% or more quantity.	30% or more of purchase order as per Notification (for being DMEP) shall be given to L-3 and L-2 shall be dealt with as per MSE policy.

Santosh Mittal

Further clarifications by Deity on applicability of the two policies in different scenarios are as under:

Sl. No.	Different Scenarios	Deity's Clarifications
1.	L-1 : Non DMEP L-2 : DMEP and MSE (within 15% of L-1) L-3 : DMEP and MSE (within 20% of L-1)	30% : DMEP and MSME (L-2) 70%: Non-DMEP(L-1)
2.	L-1 : DMEP and Non - MSE L-2 : Non-DMEP and Non-MSE. L-3 : MSE (within 15% of L-1)	20% : MSE (L-3) 80%: DMEP and Non- MSE (L-1)
3.	L-1 : DMEP and MSE	100%: DMEP and MSE (L-1)

3. The above clarifications may be taken into account in dealing with tender cases for procurement. Other similar situations arising in tender cases may be dealt on the same principles.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

No: 2011/RS(G)/779/9 New Delhi, dated : 13.2.2015

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No. 2011/RS(G)/779/9 New Delhi, dated: .2.2015

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d. Sr. Prof. (Material. Management), Railway Staff College, Vadodara
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R K Puram, New Delhi
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

No. 2011/RS(G)/779/9 New Delhi, dated : 13.2.2015

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/आरएस(जी)/779/9 नई दिल्ली, दिनांक 13.2.2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा(निर्माण), कोर.
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ एवं एनएआईआर, वडोदरा.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली,
आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली.
सभी प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत निकाय

विषय: सरकारी खरीद में देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (डीएमईपी) को वरीयता देने के लिए पीएमए नीति ।

संदर्भ: (1) बोर्ड का दिनांक 4.7.2014 का पत्र सं. 2011/आरएस(जी)/779/9.
(2) बोर्ड का दिनांक 5.7.2012 का पत्र सं. 2010/आरएस(जी)/363/1.
(3) एमओसीआईटी के डीईटी का दिनांक 14.10.2014 का पत्र सं. 33(3)/2013-आईपीएचडब्ल्यू (वॉल्यूम III) (पार्ट.3).

बोर्ड के दिनांक 4.7.2014 का पत्र सं. 2011/आरएस(जी)/779/9 और दिनांक 5.7.2012 के पत्र सं. 2010/आरएस(जी)/363/1 के अनुसार, वर्तमान में खरीद के लिए एक साथ दो सरकारी नीतियां अर्थात् पीएमए नीति और एमएसई नीति लागू हैं। पीएमए नीति में, एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक के लिए सरकारी खरीद के लिए अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में गैर-डीएमईपी की तुलना में डीएमईपी को वरीयता देने का प्रावधान है। एमएसई नीति में, पात्र एमएसई फर्मों को वरीयता देने का प्रावधान है।

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमओसीआईटी से ऐसे अनेक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए जिनका अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद के लिए निविदा मामलों पर प्रभाव पड़ता है, स्पष्टीकरण मांगा था। एमओसीआईटी ने दिनांक 14.10.2014 के अपने पत्र (उपर्युक्त संदर्भ 2) के तहत विभिन्न परिदृश्यों आदि में दो नीतियों की प्रयोज्यनीयता की स्थिति स्पष्ट की है, जिसे नीचे आमने-सामने दर्शाया गया है:

क्र. सं.	रेल मंत्रालय द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण	डीईटी का स्पष्टीकरण
1.	ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां एल-1 फर्म गैर-एमएसई गैर डीएमईपी हो सकती है और एल-1 के 15% के भीतर डीएमईपी होने के साथ-साथ एल-2 फर्म, एमएसई हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति में, एल-2 को 30% मात्रा (डीएमईपी होने के कारण) + 20% (एमएसई होने के कारण) = कुल 50% की वरीयता प्राप्त होगी या एल-2 को केवल 30% (डीएमईपी होने के कारण) वरीयता मिलेगी क्योंकि 20% (एमएसई होने के कारण) उसके अंतर्गत आ जाता है।	एल-2 को केवल 30% वरीयता (डीएमईपी होने कारण) प्राप्त होगी क्योंकि 20% (एमएसई होने कारण) उसके अंतर्गत आ जाता है।

3/2/15

2.	दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि एल-1 गैर-डीएमईपी होने के साथ-साथ गैर-एमएसई हो और एल-1 के 15% के भीतर गैर-डीएमईपी होने के साथ-साथ एल-2 एमएसई हो और एल-1 के 20% के भीतर एमएसई/गैर-एमएसई होने के साथ-साथ एल-3 डीएमईपी हो। ऐसे मामले में क्या एल-2 को 20% मात्रा (एमएसई होने के कारण) की वरीयता प्राप्त होगी और एल-3 को 30% (डीएमईपी होने के कारण अधिसूचना के अनुसार अथवा अधिक) वरीयता प्राप्त होगी अर्थात् एल-2 और एल-3 को एक साथ 50% या अधिक मात्रा के लिए वरीयता प्राप्त होगी।	अधिसूचना के अनुसार एल-3 को खरीद आदेश का 30% या इससे अधिक (डीएमईपी होने के कारण) दी जाएगी और एल-2 को एमएसई नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विभिन्न परिदृश्यों में दो नीतियों की प्रयोज्यनीयता के संबंध में डीईटी द्वारा निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिए गए हैं:

क्र. सं.	विभिन्न परिदृश्य	डीईटी का स्पष्टीकरण
1.	एल-1 : गैर डीएमईपी एल-2 : डीएमईपी और एमएसई (एल-1 का 15% के भीतर) एल-3 : डीएमईपी और एमएसई (एल-1 के 20% के भीतर)	30% : डीएमईपी और एमएसएमई (एल-2) 70% : गैर-डीएमईपी (एल-1)
2.	एल-1 : डीएमईपी और गैर-एमएसई एल-2 : गैर-डीएमईपी और गैर-एमएसई एल-3 : एमएसई (एल-1 का 15% के भीतर)	20% : एमएसई (एल-3) 80% :डीएमईपी और गैर-एमएसई (एल-1)
3.	एल-1 : डीएमईपी और एमएसई	100% : डीएमईपी और एमएसई (एल-1)

3. खरीद के लिए निविदा मामलों को डील करने में उपर्युक्त स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाए। निविदा मामलों से संबंधित उत्पन्न अन्य समान परिस्थितियों को इसी सिद्धांत के अनुसार डील किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भण्डार (सा.)I
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/आरएस(जी)/779/9 नई दिल्ली, दिनांक 13.2.2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डीपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2011/आरएस(जी)/779/9 नई दिल्ली, दिनांक 13.2.2015

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक:-
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
   - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
   - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
   - च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक्स एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान, आईडीए हाउस, सेक्टर IV, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/आरएस(जी)/779/9 नई दिल्ली, दिनांक 13.2.2015

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248, एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव, निजी सचिव :

1. रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री
2. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल)
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य, सलाहकार और कार्यपालक निदेशक